कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

पत्रांक 915 /13 दिनांक 1-10- 2015 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल।

विषयः– **बरेली अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव संख्या (FP/UK/Road / 14233/2015)**

संदर्भः– **आपका पत्रांक 664 / 13–1, दिनांक 29.09.2015 का ऑन लाईन ई0डी0एस0 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का ई0डी0एस0 दिनांक 16.09.2015।**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयगत बरेली अल्मोड़ा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव संख्या (FP/UK/Road / 14233/2015) के आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार किया गया है–

1. फॉर्म ए0 पार्ट 2 के बिन्दु संख्या 4 में वन पंचायत भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की ऑन लाईन प्रविष्टि की गयी है, जिसमें कुल 26 वृक्ष प्रभावित होते हैं जिसमें से 0–10 सेमी0 व्यास श्रेणी के 5 वृक्ष हैं जो ऑन लाईन प्रस्ताव की टिप्पणी में अंकित की गयी है। प्रस्तावित क्षेत्र का धनत्व ~~0.1~~ 0.1 हैं ईको क्लास 5 है। पार्ट 2 के बिन्दु नं0 12 के क्रम में अवगत कराना है कि ProcessingForm(Part-II)(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests) के बिन्दु संख्या 8 में Detail of violation (s),if any, committed: में सूचना No प्रविष्टि की गयी है किन्तु पार्ट नं0 2 के बिन्दु संख्या 12 में प्रविष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि बिन्दु संख्या 12 का उल्लेख Processing Form(Part-II) (To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests) में नहीं है। पार्ट नं0 2 के बिन्दु संख्या 12 में Whether work in violation is still in progres(Yes/No) **: No सूचना समझी** जाए। प्रपत्र 2 के बिन्दु संख्या 13 में प्रस्तावित मार्ग 1.0 है0 से कम होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण आवश्यक नहीं है अतः वांछित सूचना रिक्त समझी जाए, जो पार्ट नं0 2 के बिन्दु संख्या 13 में No Data का उल्लेख किया गया है।
2. नैनीताल वन प्रभाग के अन्तर्गत वर्तमान समय तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण वन पंचायत, आरक्षित वन भूमि व सिविल सोयम भूमि में की गयी है। गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूचना रिक्त है।
3. नैनीताल वन प्रभाग के अन्तर्गत वर्तमान समय तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण आरक्षित वन भूमि ,वन पंचायत भूमि व सिविल एंव सोयम भूमि में की गयी है। (उक्त वन पंचायत तथा सिविल एंव सोयम भूमि वन भूमि में परिभाषित है।) जिसकी पृविष्ठी प्रपत्र 2 के बिन्दु संख्या 14 में की गई हैं। इस वन प्रभाग द्वारा वर्तमान तक गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण नही किया गया है। **जिस कारण प्रपत्र 2 के बिन्दु संख्या 14 में गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की स्थिति शून्य दर्शाई गई हैं ।**

4- SIR पुनः संशोधित कर ऑन लाईन की जा चुकी हैं ।

भवदीया,

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।